

## WTO स्क्रूटनी के तहत भारत की गन्ना सब्सिडी

### प्रलिमिस के लिये:

विश्व व्यापार संगठन, गन्ना, सब्सिडी और प्रतकिरणी उपायों पर WTO का समझौता, WTO का कृषिपर समझौता, व्यापार और टैरफि पर सामान्य समझौता (GATT)।

### मेन्स के लिये:

WTO और इसकी भूमिका, WTO में चीनी सब्सिडी का मुदवा, चीनी उदयोग में सब्सिडी का महत्व।

### सरोत: इकनोमिक टाइम्स

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने तरक दिया है कि भारत अपने कसिनों को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के कृषिसमझौते (AoA) में नारिधारित सीमा से अधिक गन्ना सब्सिडी दे रहा है, इन देशों ने इसे वैश्वकि मानकों का उल्लंघन बताया है जो वैश्वकि व्यापार को विकृत कर सकता है।

### कृषिपर डब्ल्यूटीओ का समझौता (AoA) क्या है?

- परचियः
  - कृषिपर समझौता (AoA) विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - टैरफि और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) के उत्तरवे दौर के दौरान इस पर बातचीत की गई तथा 1 जनवरी, 1995 को WTO की स्थापना के साथ यह लागू हुआ।
- उद्देश्यः
  - AoA का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार पहुँच एवं वैश्वकि बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है।
  - AoA का लक्ष्य एक नष्टिक्ष और बाजार-उन्मुख कृषिव्यापार प्रणाली स्थापित करना है।
  - यह अपने देश में कृषिसहायता और सुरक्षा में पर्याप्त प्रगतिशील कटौती प्रदान करने के लिये सभी WTO सदस्यों पर लागू नियमों को नारिधारित करता है।
- AoA के 3 स्तंभः
  - घरेलू समर्थनः: यह घरेलू सब्सिडी में कटौती का आह्वान करता है जो मुक्त व्यापार और उचित मूल्य को विकृत करता है।
    - इस प्रावधान के तहत, विकसित देशों द्वारा समर्थन के समग्र मापदंड (AMS) को 6 वर्षों की अवधि में 20% और विकासशील देशों द्वारा 10 वर्षों की अवधि में 13% कम किया जाना है।
    - इसके तहत, सब्सिडी को बलू बॉक्स, गरीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स सब्सिडी में वर्गीकृत किया गया है।
  - बाजार पहुँचः: WTO में वस्तुओं के लिये बाजार पहुँच का मतलब उन शर्तों, टैरफि और गैर-टैरफि उपायों से है, जनि पर सदस्यों द्वारा अपने बाजारों में विशिष्ट वस्तुओं के प्रवेश के लिये सहमतिवियक्त की जाती है।
    - बाजार पहुँच के लिये आवश्यक है कि स्वितंत्र व्यापार की अनुमति देने के लिये अलग-अलग देशों द्वारा नारिधारित टैरफि (जैसे सीमा शुल्क) में उत्तरोत्तर कटौती की जाए। इसके लिये देशों को गैर-टैरफि बाधाओं को दूर करने और उन्हें टैरफि शुल्क में बदलने की भी आवश्यकता थी।
    - इनके प्रणालीम स्वरूप अन्य देशों में अत्यधिक सब्सिडी वाले (और सस्ते) उत्पादों की डंपिंग हो सकती है और अन्य देशों के घरेलू कृषि क्षेत्र को नुकसान हो सकता है।
  - नरियात सब्सिडीः: कृषि के इनपुट पर सब्सिडी, नरियात को सस्ता बनाना या नरियात के लिये अन्य प्रोत्साहन जैसे आयात शुल्क में छूट आदि को नरियात सब्सिडी के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

# WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की एक संधि जिस पर प्रशंस्क एवं व्यापार पर समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के उपर्युक्त दोर के दौरान बातचीत शुरू हुई; अंपरामिक रूप से 1994 में मार्केट, भौतिकों में इसकी पुष्टि की गई। वर्ष 1995 में यह संधि प्रभावी हुई।

## विशेषताएँ

- बाजार पहुँच (व्यापार बाधाओं को कम करके कृषि उत्पादों के लिये बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देना)
- घरेलू सहायता (सब्सिडी बॉक्स को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है)
- नियांत सब्सिडी (नियांत सब्सिडी जो व्यापार को विकृत कर सकती है, के उपयोग को कम करना)

## सब्सिडी बॉक्स

### एम्बर बॉक्स सब्सिडी

- किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है
  - उदाहरण: खाद, बीज, विद्युत, सिंचाई जैसी निविस्तियों के लिये सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
- एम्बर बॉक्स का उपयोग घरेलू समर्थन के उन सभी उपायों के लिये किया जाता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे उत्पादन एवं व्यापार को विकृत कर सकते हैं
  - परिणामस्वरूप, हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आने वाले घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिवद्ध होना आवश्यक होता है
- जो सदस्य इन प्रतिवद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपना एम्बर बॉक्स समर्थन अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के भीतर रखना चाहिये। (डि मिनिमस क्लॉज)
- विकासशील देशों के लिये 10%
- विकसित देशों के लिये 5%

\* भारत का MSP कार्यक्रम जाँच के दायरे में है, क्योंकि यह 10% की सीमा से अधिक है

### ब्लू बॉक्स सब्सिडी

- "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स" - विकृति को कम करने के लिये अधिकांशता
- ऐसा कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है लेकिन उसके लिये किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है
- इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा आरोपित करके अथवा किसानों के लिये अपनी भूमि का एक हिस्सा खाली छोड़ना अनिवार्य करके उत्पादन को सीमित करना है
- वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है

### ग्रीन बॉक्स सब्सिडी

- घरेलू समर्थन के उपाय जो व्यापार विकृति का कारण नहीं बनते हैं या कम-से-कम विकृति का कारण बनते हैं
- ये सब्सिडी फसलों पर बिना किसी मूल्य समर्थन के सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं
- इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं
- बिना किसी सीमा के अनुमति (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर)



//

## AoA के उल्लंघन के संबंध में भारत पर क्या आरोप हैं?

### घटना की पृष्ठभूमि:

- यह आरोप वर्ष 2019 के पछिले आरोप का अनुसरण करता है जब ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड ने WTO में भारत के खलिफ विवाद शुरू किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्वकि व्यापार नियमों के साथ असंगत है।
- इसके परिणाम स्वरूप, 2021 में एक WTO पैनल ने दावों की पुष्टिकी, हालांकि, भारत ने नष्टिकरणों के विरुद्ध अपील की तथा पैनल की रपोर्ट को WTO के विवाद निपिटान निकाय द्वारा अपनाने से रोक दिया।

### भारत के विरुद्ध शक्तियां:

- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि भारत के कृषि समर्थन उपाय **कृषि पर WTO के समझौते** की विभिन्न धाराओं के साथ

असंगत हैं।

- वर्ष 2018-2022 की अवधि के लिये, भारत का बाज़ार मूल्य समर्थन WTO के AoA के अनुसार, 10% के अनुमत स्तर की तुलना में प्रतिवर्ष चीनी उत्पादन के मूल्य का 90% से अधिक था।
- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की रपोर्टिंग में एक महत्वपूरण अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला तथा दावा किया कि भारत ने विधिन वर्ष 1995-96 के बाद से किसी भी घरेलू समर्थन अधिसूचना में गन्ना या उसके व्युत्पन्न उत्पादों को शामिल नहीं किया है।
  - इस चूक के कारण WTO के पास वैश्वक व्यापार नियमों में भारत के अनुपालन का आकलन करने के लिये प्रयाप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
  - चूंकि, वर्तमान में WTO का अपीलीय नियम सदस्यों की कमी के कारण नष्टिकरण है, अतः किसी भी अपील पर तब तक नियम नहीं लिया जा सकता जब तक कि नियम पुनः क्रयिशील न हो जाए।
- **भारत का उख़:**
  - वर्ष 2022 में भारत ने WTO के व्यापार विवाद नियमित पैनल के एक नियम के विरुद्ध अपील की थी, जिसमें नियम दिया गया था कीनी और गन्ने के लिये भारत के घरेलू समर्थन उपाय वैश्वक व्यापार मानदंडों के साथ असंगत हैं।
    - अपनी अपील में भारत ने तरक दिया कि पैनल ने यह पता लगाने में गलती की है कि भारत के FRP और SAP, AoA के तहत बाज़ार मूल्य समर्थन का गठन करते हैं।
  - भारत ने इस तुटी को इंगति करते हुए कहा कि USA-ऑस्ट्रेलिया विश्लेषण सबसेडी की गन्ना के लिये एक वर्ष की अवधि में पूरे भारत के गन्ना उत्पादन का उपयोग करता है, भले ही गन्ना वास्तविकता में गन्ना (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत पेराई के लिये चीनी मलिं तक पहुँचाया गया हो अथवा नहीं।
    - गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 एक नियमित ढाँचा है जो भारत में गन्ना उत्पादन, मूल्य नियंत्रण और व्यापार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है।

नोट:

- **उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP):** यह एक नियंत्रण विधि है जो सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है और यह वो न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मलिं को किसी भी उनके गन्ने के लिये भुगतान करना होगा। यह मूल्य सुनिश्चित करता है कि किसी भी उनकी फसल के लिये उचित भुगतान मिले।
- **राज्य-अनुशंसित कीमतें (SAPs):** कुछ राज्यों में किसी भी उत्पादन विधि में सुधार के लिये FRP के अलावा अतिरिक्त भुगतान मिलता है, और कुछ राज्यों में चीनी मलिं राज्य-सलाह मूल्य (SAP) नामक विशिष्ट राज्य-स्तरीय समर्थन के माध्यम से किसी भी उचित भुगतान प्रदान करती है।

## विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) क्या है?

- **परिचय:**
  - WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्वक व्यापार को नियंत्रित और बढ़ावा देता है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं (यूरोपीय संघ सहित)।
  - यह सदस्य देशों को व्यापार समझौतों पर वार्ता करने और लागू करने, विवादों को सुलझाने तथा आर्थिक वृद्धिएवं विकास को बढ़ावा देने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - इसका मुख्यालय जनिवा, स्विटज़रलैंड में है।
- **WTO की उत्पत्ति:**
  - WTO टरफि और व्यापार पर समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) का उत्तराधिकारी है, जिसे वर्ष 1947 में बनाया गया था।
  - GATT के उरुग्वे राऊंड (Uruguay Round) (1986-94) के कारण WTO का नियमित हुआ।
    - विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी, वर्ष 1995 को परिवर्तन शुरू किया।
  - WTO की स्थापना करने वाला समझौता, जिसे आमतौर पर "माराकेश समझौता" के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1994 में मराकेश, मोरक्को में हस्ताक्षरित किया गया था।
    - भारत, 1947 GATT और उसके उत्तराधिकारी, WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक था।
  - GATT और WTO के मध्य मुख्य अंतर यह था कि GATT ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, WTO एवं इसके समझौते न केवल वस्तुओं को समाहित कर सकते थे, बल्कि सेवाओं तथा अन्य बौद्धिक संपदा जैसे व्यापार नियमण, डिज़िन व आविष्कारों में भी व्यापार कर सकते थे।
- **WTO का विवाद नियरण तंत्र:**
  - WTO के नियमों के अनुसार, WTO के सदस्य या सदस्य जनिवा स्थिति बहुपक्षीय विवाद नियमित पैनल नियमित (DSB) में मामला दायर कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई विशेष व्यापार उपाय WTO के मानदंडों के खिलाफ है।
    - किसी विवाद को सुलझाने के लिये द्विपक्षीय परामर्श पहला कदम है। यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं हैं, तो कोई भी विवाद नियमित पैनल की स्थापना के लिये संपर्क कर सकता है।
- **विवाद नियमित पैनल (DSB):**
  - DSB सदस्य देशों के मध्य व्यापार विवादों पर नियमित लेता है। इसमें WTO के सभी सदस्य शामिल हैं।
  - DSB अपने सभी नियमित सर्वसम्मति से लेता है।

- DSB के पास मामले पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों के पैनल स्थापति करने और पैनल के निषिकरणों या अपील के परिणामों को स्वीकार या अस्वीकार करने का एकमात्र अधिकार है।
  - यह फैसलों एवं अनुसंशाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और जब कोई देश कसी फैसले का पालन नहीं करता है तो उसके पास प्रतिशिष्ठा को अधिकृत करने की शक्ति होती है।
  - पैनल के फैसले या रिपोर्ट को **WTO के अपीलीय निकाय (WTOAB)** में चुनौती दी जा सकती है।
    - हालाँकि, अभी तक इस निकाय में नए सदस्यों की नियुक्तिको लेकर सदस्य देशों के मध्य मतभेद के कारण WTOAB कार्य नहीं कर रहा है।
    - अपीलीय निकाय के पास 20 से अधिक विवाद पहले से ही लंबती हैं। अमेरिका सदस्यों की नियुक्तिमें बाधा डालता रहा है।

नष्टिकरणः

भारत की गनना सबसेडी के खिलाफ आरोप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतशीलता को महत्वपूरण रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लंबे विविध समाधान प्रकरण डबलयूटी.ओ. नियमों के अनुपालन को लागू करने से जुड़ी जटिलियाँ और चुनौतियाँ को रखांकित करती हैं।

बढ़ते व्यापारकि विवादों के बीच वशिव व्यापार संगठन में प्रमुख सुधार क्षेत्रों की पहचान कीजयि, साथ ही भारत के व्यापार हतियों पर प्रभाव और वैश्वकि व्यापार भविष्य को आकार देन में भूमिका का मूलयांकन कीजयि।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????;

प्रश्न. भारत में गनने की खेती में वरतमान परवृत्ततयों के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये- (2020)

1. जब 'बड़ चपि सैटलगिस (Bud Chip Settlements)' को नरसरी में उगाकर मुख्य कृषभूमि में प्रतरिपति कया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है।
  2. जब सेट्स का सीधे रोपण कया जाता है, तब एक-कलकिं (Single-Budded) सेट्स का अंकुरण प्रतशित कई-कलकिं (Many Budded) सेट्स की तुलना में बेहतर होता है।
  3. खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक-कलकिं सेट्स का जीवति बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है।
  4. गनने की, खेती, ऊतक संवरदधन से तैयार की गई सैटलगि से की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
  - (b) केवल 3
  - (c) केवल 1 और 4
  - (d) केवल 2, 3 और 4

**उत्तरः (c)**

**प्रश्न 4. नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजये: (2017)**

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन किया है।
  2. TFA, WTO के बाली मंत्रसितरीय पैकेज 2013 का एक भाग है।
  3. TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1 और 2
  - (b) केवल 1 और 3
  - (c) केवल 2 और 3
  - (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 3. नमिनलखिति में से कसिके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'ऐम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016)

- (a) WTO मामला
- (b) SAARC मामला
- (c) UNFCCC मामला
- (d) FTA पर भारत-यूरोपीय संघ वार्ता

उत्तर: (a)

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़रस और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में कसिके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

- (a) खाद्य और कृषि संगठन
- (b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
- (c) वैश्व व्यापार संगठन
- (d) संयुक्त राष्ट्र प्रयावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

**/?/?/?/?/?:**

प्रश्न . यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिवृत्ति में वैश्व व्यापार संगठन (डबल्यू. टी. ओ.) को ज़दिया बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, वैश्व रूप से भारत के हति को ध्यान में रखते हुए? (2018)

प्रश्न . "WTO के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोन्नतिकरना है। परंतु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोंमुखी प्रतीत होती है जिसिका कारण वकिसति और वकिसशील देशों के बीच मतभेद है।" भारतीय प्रपिरेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न . WTO एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ लयि गए नियन्य देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं। WTO का क्या अधिदिश (मैंडेट) है और उसके नियन्य कसि प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पछिले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूरवक विश्लेषण कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-sugarcane-subsidy-under-wto-scrutiny>